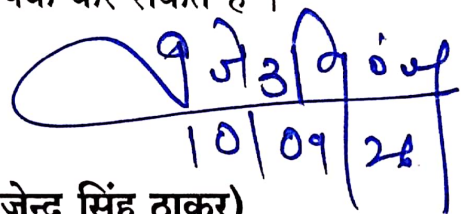


छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
ब्लाक नम्बर 11, प्लॉट नम्बर 10/08, रायगढ़ बाड़ा, यूरोकेयर हॉस्पिटल
के पास, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

अभिरूचि के प्रस्ताव का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय में एक टोल फ्री नम्बर 1800-233-0055 स्थापित किया गया है, जिस पर कोई भी शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त टेलीफोन नम्बर पर 24 घण्टे सातों साप्ताहिक दिवस विविध सेवाएं दी जानी हैं। इन शिकायतों को सुनकर दर्ज कर कार्यवाही हेतु आयोग के संज्ञान में लाने का दायित्व इस अभिरूचि के प्रस्ताव का मुख्य कार्य है। इसके संचालन के अतिरिक्त आयोग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बच्चों का लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 व बच्चों से संबंधित अन्य कानूनों के प्रचार व क्रियान्वयन की स्थिति, बच्चों के स्वास्थ्य पोषण व बाल अधिकारों से जुड़े अन्य मुद्दों पर टेलीफोन के आधार पर त्वरित प्राथमिक सर्वेक्षण कर वस्तुस्थिति/यथास्थिति जानने या अन्य सूचनाएँ आदि प्राप्त करने के लिए सेवाओं की आवश्यकता है। इस हेतु यह अभिरूचि का प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है। इस हेतु बाल अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं से अभिरूचि के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। संदर्भ शर्तें व अन्य विवरण आयोग कार्यालय से कार्यालयीन समय में नगद राशि 100 रु. मात्र (अक्षरी एक सौ रूपये मात्र) जमा कर दिनांक 08.10.2026 को सायं 5:30 तक प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तावक अपने प्रस्ताव दिनांक 09.10.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे व उसी दिवस 03:30 बजे खोले जावेंगे। किसी कारणवश उक्त नियत तिथि को अवकाश होने पर उसके ठीक अगले शासकीय कार्य दिवस में यह कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु श्री पंकज पाण्डेय सहायक ग्रेड-02 से मोबाइल नम्बर 98939-82423 पर संपर्क कर सकते हैं।


10/09/24

(बृजेन्द्र सिंह ठाकुर)

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार
संरक्षण आयोग